भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.हिंदी-2021/प्र.-7/1 नई दिल्ली, दिनांक 03.12.2021

परिपत्र

विषय: सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए लागू राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना आधार वर्ष – 2020.

जैसा कि आप सभी को विदित है कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक व प्रशंसनीय प्रयोग करने वाले रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को **"राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना"** के तहत पुरस्कृत किया जाता रहा है। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के साथ-साथ बोर्ड कार्यालय के अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार के रूप में प्रत्येक को 3,000/-रू की राशि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

यदि कोई विभागाध्यक्ष यह अनुभव करे कि उनके अधीनस्थ कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का सराहनीय प्रयोग कर रहा है तो वह उस अधिकारी/कर्मचारी को उक्त पुरस्कार से पुरस्कृत करने के लिए उसके नाम की अनुशंसा कर सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से लेकर सलेक्शन ग्रेड स्तर तक के अधिकारियों की अनुशंसा इस आधार पर भेजी जा सकती है कि अहिंदी भाषी अधिकारी/कर्मचारी अपना कम से कम 50% तथा हिंदी भाषी अधिकारी/कर्मचारी अपना कम से कम 75% कार्य हिंदी में करते हों। **इस योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कार प्राप्त करने के बाद संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के नाम की सिफारिश अगले 03 वर्षों तक नहीं की जा सकेगी।**

अतः अनुरोध है कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 (01.01.2020 से 31.12.2020) के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने वाले पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम द्विभाषी रूप में राजभाषा निदेशालय को 31.01.2022 तक भिजवाने की व्यवस्था करें।

कृपया अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम राजभाषा निदेशालय में भिजवाने से पहले उनकी सतर्कता जांच की पुष्टि कर ली जाए और नाम भिजवाने वाले नोट में इसका उल्लेख भी कर दिया जाए।

यह भी उल्लेखनीय है कि अनुशंसित रेल कर्मियों को पुरस्कार राशि RTGS/NEFT के माध्यम से भिजवाई जाएगी, जिसके लिए रेल कर्मियों की बैंक डिटेल्स (निरस्त चैक की प्रति सहित) संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार भिजवाई जानी भी अनिवार्य है।

संलग्नक: यथोक्त

03/12/2021
(विपिन पवार)
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि : बोर्ड कार्यालय तथा दया बस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

RTGS/NEFT कराने के प्रयोजन से अपेक्षित जानकारी भिजवाने हेतु प्रोफार्मा

1. नाम/NAME (द्विभाषी रूप में) :
 (As shown in Bank A/c)

2. पदनाम/DESIGNATION :

3. कार्यालय का नाम/OFFICE NAME :

4. बैंक का नाम/BANK NAME :

5. बैंक शाखा का नाम/BRANCH NAME :

6. खाता सं./ACCOUNT NO. :
 (कृपया cancelled cheque की फोटोप्रति भी संलग्न करें)

7. आई.एफ.एस.सी. कोड/IFSC CODE :

8. ब्राच (बैंक) का कोड/BRANCH CODE :

9. एम.आई.सी.आर कोड/MICR CODE :

10. मोबाइल नं./MOBILE NO. :

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.हिंदी-2021/प्र.-7/1

नई दिल्ली, दिनांक : 03.12.2021

महाप्रबंधक (राजभाषा)
सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां,
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), मालीगांव, गुवाहाटी
मेट्रो रेलवे, कोलकाता
केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, प्रयागराज

निदेशक,
जगजीवनराम रेल सुरक्षा बल अकादमी,
लखनऊ

महानिदेशक,
इरिसेन/इरीन/इरिमी/इरिसेट/इरिटिम
अ.अ.मा.सं., लखनऊ
भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा

प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
डीज़ल रेलइंजन आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला

विषय : सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए लागू राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना आधार वर्ष – 2020.

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक व प्रशंसनीय प्रयोग करने वाले रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को **"राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना"** के तहत पुरस्कृत किया जाता रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार के रूप में प्रत्येक को 3,000/-रू की राशि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

इस योजना के अंतर्गत, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से लेकर सलेक्शन ग्रेड स्तर तक के अधिकारियों की अनुशंसा इस आधार पर भेजी जा सकती है कि अहिंदी भाषी अधिकारी/कर्मचारी अपना कम से कम 50% तथा हिंदी भाषी अधिकारी/कर्मचारी अपना कम से कम 75% कार्य हिंदी में करते हों। **इस योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कार प्राप्त करने के बाद संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के नाम की सिफारिश अगले 03 वर्षों तक नहीं की जा सकेगी।**

पुरस्कार के लिए निर्धारित कोटे में सभी रेल कार्यालयों को उचित प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से निर्धारित कोटे में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कतिपय संशोधन किए गए हैं। अतः अनुरोध है कि वर्ष 2020 (01.01.2020 से 31.12.2020) के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने वाले पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों की अनुशंसा यथासंशोधित कोटे के अनुसार 31.01.2022 तक बोर्ड कार्यालय को निरपवाद रूप से भिजवाने की व्यवस्था करें।

कृपया अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम बोर्ड कार्यालय में भिजवाने से पहले उनकी सतर्कता जांच की पुष्टि कर ली जाए और नाम भिजवाने वाले पत्र में इसका उल्लेख भी कर दिया जाए। साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि रेल/कार्यालय से अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या बोर्ड द्वारा निर्धारित कोटे से अधिक न हो। साथ ही साथ, अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों में सभी मंडलों का भी प्रतिनिधित्व हो। **नाम भिजवाते समय इस बात की भी पुष्टि की जाए कि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इस योजना के तहत पिछले 03 वर्षों में पुरस्कृत नहीं किया गया है।**

यह भी उल्लेखनीय है कि अनुशंसित रेल कर्मियों को पुरस्कार राशि RTGS/NEFT के माध्यम से भिजवाई जाएगी, जिसके लिए रेल कर्मियों की बैंक डिटेल्स (निरस्त चैक की प्रति सहित) संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार भिजवाई जानी अनिवार्य है।

संलग्नक : संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत
एवं संशोधित कोटा

03/12/2021
(विपिन पवार)
निदेशक (राजभाषा)

सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना – **संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत**

1. यह योजना रेलवे बोर्ड की राजभाषा **व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना** कहलाएगी।
2. उक्त पुरस्कार उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी दिया जाएगा जिनके बारे में रेलों तथा उत्पादन इकाइयों आदि के मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी/ उप महाप्रबंधक (राजभाषा)/ वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी द्वारा वर्तमान में किए गए राजभाषा संबंधी निरीक्षणों के दौरान तथा बोर्ड कार्यालय के अपर सदस्य (कार्मिक) / कार्यपालक निदेशक स्था.(आर), / निदेशक (राजभाषा)/ संयुक्त निदेशक (राजभाषा) द्वारा वर्तमान में किए गए राजभाषा संबंधी निरीक्षणों के दौरान यह पाया जाए कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक एवं प्रशंसनीय प्रयोग कर रहे हैं।
3. पुरस्कार की पात्रता के लिए अहिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम से कम 50% और हिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम से कम 75% काम हिंदी में किए जाने की अनिवार्यता होगी।
4. पुरस्कार प्रदान करने के प्रयोजन से बोर्ड कार्यालय सहित प्रत्येक रेलवे/उत्पादन इकाई आदि में तीन सदस्यों की एक मूल्यांकन समिति गठित की जाए। इन सदस्यों में एक संबंधित उपमहाप्रबंधक(राजभाषा)/वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी तथा एक अधिकारी वित्त/लेखा विभाग का होना चाहिए। मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर मुख राजभाषा अधिकारी उक्त समिति के सदस्य एवं पदेन अध्यक्ष होंगे। बोर्ड कार्यालय की मूल्यांकन समिति में संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड और वित्त/लेखा निदेशालय का एक अधिकारी हो। निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड इस समिति के सदस्य एवं पदेन सचिव होंगे।
5. इस योजना के अंतर्गत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से लेकर सलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों तक की अनुशंसा भेजी जा सकती है।
6. यह योजना रेलवे बोर्ड कार्यालय में निदेशक (राजभाषा) के समग्र नियंत्रण में तथा क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि में उप महाप्रबंधक (राजभाषा)/ वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी (मुख्यालय)/राजभाषा अधिकारी (मुख्यालय) जैसी भी स्थिति हो, के समग्र नियंत्रण में कार्यान्वित की जाएगी।
7. हिंदी में किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम निर्धारित कोटे के तहत रेलवे बोर्ड को भिजवाएंगे।
8. बोर्ड कार्यालय का कोई विभागाध्यक्ष यह अनुभव करे कि उनके अधीनस्थ कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का सराहनीय प्रयोग कर रहा है तो वह उस अधिकारी/कर्मचारी को पुरस्कृत करने के लिए उसका नाम भिजवा सकते हैं।
9. प्रत्येक रेलवे/उत्पादन इकाई संलग्न अनुलग्नक में निर्धारित किए गए कोटे से अधिक की अनुशंसा नहीं भिजवाएंगे।
10. इस योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कार प्राप्त करने के बाद संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के नाम की सिफारिश अगले 03 वर्ष तक नहीं की जा सकेगी।
11. इस संबंध में सभी रेलों पर स्थायी रिकार्ड के रूप में पुरस्कृत अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा एक रजिस्टर में रखा जाएगा।
12. अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम बोर्ड कार्यालय में भिजवाने से पहले उनकी सतर्कता जांच की पुष्टि कर ली जाए और नाम भिजवाने वाले पत्र में इसका उल्लेख भी कर दिया जाए।

(प्राधिकार: बोर्ड कार्यालय का दिनांक 01.09.2020 का पत्र सं हिंदी-2020/प्र.-7/5)

---xxx---

03/12/21

(विपेन पवार)
(VIPIN PAWAR)
निदेशक (राजभाषा)
Director (OL)
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड/Railway Board)
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक

क्रम सं	रेलवे	संशोधित कोटा	पुरस्कारों की कुल राशि
1.	मध्य रेलवे (CR)	6	3,000 X 6 = 18,000
2.	पूर्व रेलवे (ER)	6	3,000 X 6 = 18,000
3.	उत्तर रेलवे (NR)	6	3,000 X 6 = 18,000
4.	पूर्वोत्तर रेलवे (NER)	4	3,000 X 4 = 12,000
5.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (NFR)	7	3,000 X 7 = 21,000
6.	दक्षिण रेलवे (SR)	8	3,000 X 8 = 24,000
7.	दक्षिण मध्य रेलवे (SCR)	8	3,000 X 8 = 24,000
8.	**दक्षिण पूर्व रेलवे (SER)**	6	3,000 X 6 = 18,000
9.	पश्चिम रेलवे (WR)	7	3,000 X 7 = 21,000
10.	पूर्व मध्य रेलवे (ECR)	6	3,000 X 6 = 18,000
11.	पूर्व-तट रेलवे (ECoR)	5	3,000 X 5 = 15,000
12.	उत्तर मध्य रेलवे (NCR)	4	3,000 X 4 = 12,000
13.	दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR)	5	3,000 X 5 = 15,000
14.	पश्चिम मध्य रेलवे (WCR)	4	3,000 X 4 = 12,000
15.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR)	4	3,000 X 4 = 12,000
16.	उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR)	5	3,000 X 5 = 15,000
17.	**पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण)**	2	3,000 X 2 = 6,000
18.	चित्तरंजन (CLW), चित्तरंजन	3	3,000 X 3 = 9,000
19.	सडिका (ICF), चेन्नै	3	3,000 X 3 = 9,000
20.	रेपका (RWF), बैंगलूरु	3	3,000 X 3 = 9,000
21.	वरेका (DLW), वाराणसी	2	3,000 X 2 = 6,000
22.	डीरेआका (DMW), पटियाला	2	3,000 X 2 = 6,000
23.	रेडिका (RCF), कपूरथला	2	3,000 X 2 = 6,000
24.	**आधुनिक रेलडिब्बा कारखाना (MCF), रायबरेली**	2	3,000 X 2 = 6,000
25.	**जगजीवन राम रे.सु.बल अकादमी**	2	3,000 X 2 = 6,000
26.	अ.अ.मा.सं (RDSO), लखनऊ	2	3,000 X 2 = 6,000
27.	कोर (CORE) प्रयागराज	2	3,000 X 2 = 6,000
28.	मेट्रो रेलवे (METRO)	2	3,000 X 2 = 6,000
29.	रेलवे बोर्ड (RB)	3	3,000 X 3 = 9,000
30.	प्रशासनिक दृष्टि से स्वतंत्र अन्य छोटे कार्यालय और सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य (कार्मिक)/कार्यपालक निदेशक, स्था. (आर.), निदेशक, राजभाषा तथा संयुक्त निदेशक, राजभाषा की वर्तमान में की गई सिफारिश के आधार पर पर	13	3,000 X 13 = 39,000
	कुल पुरस्कार	**134**	**4,02,000/-रू**

03/12/2024

(विपिन पवार)
(VIPIN PAWAR)
निदेशक (राजभाषा)
Director (OL)
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड/Railway Board)
नई दिल्ली/New Delhi

RTGS/NEFT कराने के प्रयोजन से अपेक्षित जानकारी भिजवाने हेतु प्रोफार्मा

1. नाम/NAME (द्विभाषी रूप में) :
 (As shown in Bank A/c)

2. पदनाम/DESIGNATION :

3. कार्यालय का नाम/OFFICE NAME :

4. बैंक का नाम/BANK NAME :

5. बैंक शाखा का नाम/BRANCH NAME :

6. खाता सं./ACCOUNT NO. :
 (कृपया cancelled cheque की फोटोप्रति भी संलग्न करें)

7. आई.एफ.एस.सी. कोड/IFSC CODE :

8. ब्राच (बैंक) का कोड/BRANCH CODE :

9. एम.आई.सी.आर कोड/MICR CODE :

10. मोबाइल नं./MOBILE NO. :

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर